न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 100/2022
GCMS CASE NO-2022/100

1. जेठी देवी पत्नी हीराराम अकवाम नाई साकिन 12 एसटीवी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. निर्मला पुत्री श्री हीराराम अकवाम नाई साकिन 12 एसटीवी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
3. रामदेवी पुत्र श्री हीराराम अकवाम नाई साकिन 12 एसटीवी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. हनुमान पुत्र श्री हीराराम अकवाम नाई साकिन 12 एसटीवी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री कमलदत्त शर्मा व रामस्वरूप तावणियां अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट

:: निर्णय :: दिनांकः–27-3-2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 444/4 की 6.325 है0 बारानी भूमि का टीसी आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयीहै। अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट को रोही कस्वा सूरतगढ़ के खसरा न 444/4 की 6.325 है0 बारानी भूमि संवत 2036 में टीसी आवंटन था। जिस पर अपीलांट के पति/पिता हीराराम का कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा था। अपीलांटस के पति/पिता हीराराम का देहांत होने पर अपीलांटस के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। उक्त रकबा अपीलांटर के पति/पिता को राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत आवंटन किया गया था। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत आवंटित टीसी भूमि की शर्तो की पालना करने पर पुख्ता करने का प्रावधान है। अपीलांटर से पति/पिता द्वारा आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवंटन से लेकर अपने जीवन काल में अपीलांटस के पति/पिता का कब्जा व उनके देहांत होने के पश्चात उनके जायज वारिस आज भी उक्त रकबा पर काबिज होकर लगातार काश्त करते आ रहे है। रकम मालकाना जमा करवाते आ रहे है। उक्त रकबा का नवीनीकरण भी आंवटन से लेकर समय समय पर हुआ है। अपीलांटस को बिना सुने पीठ पीछे मात्र एक पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटस के पति/पिता के नाम आवंटित रकबा खारिज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये जो कि निम्न कारणों से निरस्त योग्य है।

क. यह कि अदालत मातहत द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते समय ना तो अपीलांटस के पति/पिता को नोटिस जारी किया गया ना ही अपीलांटस को कोई नोटिस सूचना भिजवाई गई जैर अपील आदेश अपीलांटस की पीठ पीछे सुने [illegible] तौर पर पारित किया गया हैं। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत हैं। [illegible] अपील निरस्ती के काबिल है।

ख. यह कि अदालत मातहत [illegible] दिनांक 31.[illegible]06 एक प्रिंटेड फार्म है जिसमें मात्र अपीलांटस के पति/पिता का [illegible] हीराराम कर दिया गया [illegible] का वर्णन किया गया है। अदालत मातहत ने जैर अपील [illegible]णय करते समय माईण्ड [illegible]नहीं किया गया हैं। मात्र प्रिंटेड फार्म पर रकबा लिख कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

मात्र एक पटवारी रिपोर्ट के आधार पर व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.12.2005 व 8.2.2006 द्वारा ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्रके पैराफेरी क्षेत्र में आती है एवं इस भूमि का न तो नवीनीकरण किया जा सकता है न ही पुख्ता या खातेदारी दी जा सकती है। ऐसी भूमियों को राजस्थान उपनिवेशन शर्त 1955 की शर्तो व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेस्टलेण्ड हेतु बने नियमों के नियम 1996 के अंतर्गत उक्त रकबा खारिज करने के आदेश दिए गए थे राज्य सरकार का परिपत्र वेस्ट भूमियों के सम्बंध में था अपीलांट की भूमि पर उक्त परिपत्र लागू नहीं होते है फिर भी उक्त परिपत्र का हवाला देकर अपीलांटस की टीसी आवंटित रकबा को खारिज कर दिया गया था। अपीलांट के पिता/पति हीराराम पुत्र केशुराम जाति नाई के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 444/4 में 6.325 है0 भूमि टीसी आवंटन था पिता/पति की मृत्यु के बाद अपीलांटस का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूरा पूरा पात्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के रकबा को नगरपालिका क्षेत्र की सीमा यानि पैराफेरी क्षेत्र में मानकर तथा शर्तो का उल्लंघन बताकर अपीलांट का टीसी आवंटित रकबा खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलदत्त व श्री रामस्वरूप तावणियां उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को विधिवत सुने बिना ही एक पक्षीय पारित किया है। अपीलांट दिनांक 19.07.2022 को अपने रकबा की खातेदारी हेतु गिरदावरी लेने के लिए पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी ने अपीलांट को टी सी आवंटित रकबा यथा खसरा न 444/4 की 6.325 है0 बारानी भूमि आराजी राज होना बताया। तब अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंट पैरोकार राज ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड़न करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 16 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया हैं वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित हैं। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील [illegible] करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस [illegible] सुनी गई। अपीलांट ने कथन किया कि एक पटवारी रिपोर्ट [illegible] रकबा पेराफेरी में आता है। व पेराफेरी का रकबा राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार अपील खारिज मान लिया गया है। जबकि उक्त रकबा की ना तो पैमाईश की गई कि रकबा नगरपालिकापरिधि से कितनी दूरीपर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
836

Scanned with OKEN Scanner

है। मात्र अपने कयासो के आधार पर परपटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मान कर जैर अपील रकबा खारिज करने का निर्णय दिनांक 31.08.2006 को पारित किया गया। अपीलांट के पिता/पति हीराराम पुत्र केशुराम जाति नाई के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 444/4 में 6.325 है0 भूमि टीसी आवंटन था। जिस पर पर अपललांटस के पति/पिता हीराराम का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा था। पिता/पति की मृत्यु के बाद अपीलांटस का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांटस को विरासतन प्राप्त हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय खारिज किया जावे।अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान करे।

8. प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी बहस के दौरान राजपैरोकार द्वारा कथन किया कि अपीलांट द्वारा उसके पिता की मृत्यु के सम्बंध मे कोई दस्तावेज कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किए गए थे,अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपील के साथ कब्जे के सम्बंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी खारिज किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचनो के आधार पर पत्रावली पर मनन किया गया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

9. तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने दौराने लिखित बहस प्रतिउत्तर/ अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 444/4 की 6.325 है0 बारानी भूमि बतौर अस्थाई कृषि पट्टा शर्ते 1955 के तहत आवंटन हुई थी। जिसका समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा और अपीलांट के पिता/पति द्वारा मालकाना अदा किया जाता रहा है। नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र टीसी पत्रावली प्रकरण में शामिल है व अधिनस्थ न्यायालय के खारिज आदेश में भी अधीनस्थ न्यायालय ने सम्वत 2061 तक नवीनीकरण होना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2006 को उक्त भूमि पेराफेरी क्षेत्र में मानते हुए खारिज कर दी उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया की अवहेलना कर दिनांक 31.08.2006 को निर्णय पारित किया गया था जिसका मुख्य आधार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 6 विभाग दिनांक 8.02.2006 के परिपत्र का लिया था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिपत्र को स्वस्थ मस्तिष्क से अवलोकन नहीं किया परिपत्र दिनांक 08.02.2006 वेस्टलैण्ड आवंटन के सम्बंध में पारित किया गया है। परिपत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि परिपत्र किन किन नियमों के तहत आवंटित भूमि पर लागू होगा। वेस्ट लैण्ड हेतु बनाये गये नियम निम्न है।

(अ) राजस्थान भू-राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986

(ब) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुंख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996

(स) राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी कुकंट और सूअर पालन हेतु आवंटन) नियम 1958 परिपत्र में स्पष्ट परिपत्र केवल उक्त भूमियों पर लागू होगा। प्रार्थी को विवादग्रस्त भूमि का आवंटन उपरोक्त नियमों के तहत नहीं किया गया है इसलिए परिपत्र 08.02.2006 के प्रावधान प्रार्थी को आवंटित भूमि पर लागू नहीं होते है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय 31.08.2006 को पारित निर्णय में मुख्य आधार राजस्व विभाग के परिपत्र 15.12.2005 कमांक प. 6(6)राज/06/92/23 के आधार पर निर्णय पारित किया है। परंतु विद्वान तहसीलदार ने उपरोक्त परिपत्र को स्वस्थ मस्तिष्क से अवलोकन [illegible] परिपत्र को स्वस्थ मस्तिष्क से अवलोकन नहीं किया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 के अनुसार:-

1. औद्योगिक या अन्य कृषि अकृषि प्रयोजनार्थ नियमानुसार [illegible] का आवंटन दो प्रकार से हो सकता है।

2. स्वयं की खातेदार कृषि भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ [illegible] करवाया जा कर आवंटन

3. राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि का आवंटन।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार संपरिवर्तन भूमि का उपयोग संपरिवर्तन प्रयोजन न किये जाने पर आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि को मूल रूप से कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि में दर्ज करवाया जा सकता है। परंतु राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि आवंटन प्रकरणों में आवंटी का आवंटन निरस्त होकर पुनः मूल रूप से सिवाय चक दर्ज की जानी होती है अपीलांट की भूमि पर उक्त परिपत्र लागू नहीं होता इसलिए अपीलांट अपनी कृषि भूमि के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करवाने का अधिकारी है। यह कि अपीलांट पिता/पति को आवंटित रकबा पूर्व में कालोनी क्षेत्र में होने के कारण आवंटन नियम शर्तें 1955 के तहत आवंटन किया गया था राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार उक्त रकबा दिनांक 18.10.2007 को कालोनी क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया जिस कारण प्रार्थी की भूमि के आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत आ गया और आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में संशोधन कर के परिपत्र विभागीय अधीसूचना एफ 9(15)रे.वे.6/पार्ट/33 जयपुर दिनांक 21.06.2007 का नियमानुसार हिन्दी रूपांतरण कमांक प.9(15)रे.वे./06/2005 पार्ट 43 दिनांक 29.08.2007 के अनुसार उक्त नियम में संशोधन कर शहरी क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्रों मे आई भूमि का नियमानुसार खातेदारी जारी किये जाने का उक्त परिपत्र जारी किया गया कि नियम 18 का उक्त नियमों के नियम 18 का संशोधन विघ्यमान उपनियम(4) निम्नलिखित अतः स्थापित किया जायेगा अर्थात ऐसी भूमि आवंटन के समय अधिनियम की धारा 90ख में वर्णित नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमा के भीतर या पेरांफेंरी क्षेत्र के भीतर नहीं थी ततपश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण नगर सुधार न्यास निगम का नगर परिषद ने नगरीय योग्य सीमा या परिधि क्षेत्र में सम्मलित कर ली हो तो खातेदारी अधिकार केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त क्षेत्र के लिए यथाअवधरित भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत राशि संदाय करने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जायेंगें और भूमि के नगर की बोर्ड के नगरीय सीमा या परिसीमा में तत्पश्चात सम्मलित होने की दशा में खातेदारी अधिकार खण्ड आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए अवधारित भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत राशि का संदाय करने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जायेगें। ततपश्चात राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप 6प(9)15 आरईवी खण्ड आयुक्त के अनुमोदन के जगह उक्त अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर को निहित कर दिये गये है। उक्त परिपत्र के अनुसार जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा रहे है। यह कि कानून राज भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 95 के तहत मात्र जिला कलक्टर भूमि आरक्षित कर सकते है और धारा 102 के तहत मात्र राज्य सरकार स्थानीय निकाये को भूमि आवंटन कर सकती है इस सम्बंध में आरआरडी 1995 पेज 68 नगरपालिका राजा खेडा बनाम श्री हनुमान जी महाराज से बखुबी साबित है अतः प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार किया जाकर नगरपालिका का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। यह कि आवंटी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है जिसकी ताईद में खसरा गिरदावरियां संलग्न है अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त है।अपीलांट का पेशा काश्तकारी है उक्त आवंटित भूमि पर प्रतिवर्ष काश्त कर रहा है टीसी धारक का प्रथम हक होता है। इस सम्बंध में राज्य सरकार का नोटिफिकेशन उपनिवेशन विभाग 10.08.98 कमांक3(29)34/86मंत्रीमंडलीय आज्ञा सं. 68/98 दिनांक 20.07.1998 उक्त वर्णित परिपत्र के पैरा संख्या 04 के अनुसार जो व्यक्ति भूमिहीन है तथा नियमों के अंतर्गत अन्यथा भूमि आवंटन का है तथा 15.01.1987 को या इससे पूर्व ऐसे भूमि के अस्थाई पट्टा धारक है तथा इन आदेशों के जारी होने की दिनांक को भी भूमि पर काबिज है चाहे ऐसी लीज का नवीनीकरण हुआ या नहीं हुआ उसकी लीज किसी [illegible] अस्थाई पटटा धारको या उनके पुत्रों को आवंटन किया जा सकेगा यदि प[illegible]या कि मृत्यु होनेकी स्थिति में उनके उत्तराधिकारी भी इन [illegible] होने व अस्थाई आवंटन पट्टा शर्तें 1955 की [illegible] स्पष्ट उल्ले[illegible] है कि अस्थाई पटटा धारक के उत्ताराधिकारी हित धारक हो[illegible] रेस्पोंडेंट [illegible] वार्ड बाई ला हो चुकी है उक्त नजीरे हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होती। राज्य सर[illegible] अधिसूचना संख्या एफ 3(29)कोलो86 दिनांक 28.11.2004 जो राजपत्र दिनांक 03.01.2005 को प्रकाशित हुई कि अस्थाई कृषि आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

को निरस्त नहीं किया गया है तो स्थाई आवंटन से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरआरटी 2019 के पेज 372 अनुसार एक बार टीसी आवंटन के पश्चात टीसी निरस्त नहीं मानी जा सकती स्वतः नवीनीकरण मानी जावेगी और आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान को आवंटन की जावेगी। व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955की शर्त 4(च) के अनुसार काश्तकार की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारी को भी शामिल किया गया है व राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएफ 4/24/उप/99जयपुर दिनांक 15.09.2001 में माना है कि अस्थाई कृषि धारक की मृत्यु के पचात उनके वारिसान को भी काश्तकार की परिभाषा में मानागया है उन्हे अस्थाई कृषि पट्टा धारक भी माना जावेगा। इस बावत् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा भी दिनांक 22.10.2001 को पत्र जारी किया गया है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में रही है।प्रश्नगत भूमि 45 वर्ष पूर्व आवंटन हुई थी इस सम्बंध में पूर्व में भी अपीलांट के पिता/पति के जीवनकाल में उनका व उनके देहांत के बद से भूमि कब्जे में है। अपीलांट को अस्थाई आवंटन किया परंतु समय-समय पर विस्तार किया जाता रहा इतनी पुरानी भूमि का आवंटन निरस्त करना उचित नही है।2001(1)आआरटी पेज संख्या 603 टीसी का स्थाई आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आरआरडी 1993 पेज 596 अस्थाई पट्टे को कभी भी रदद नहीं किया जा सकता आरआरटी 2016(2)पेज 914 आरआरटी2013(1) पेज 444, आरआरटी 2015(1)पेज 35, आरआरडी 2003(1) पेज 47 डीएनजे 2008 3) पेज 1679 अतः अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का अविधिक निर्णय खारिज फरमाया जावे।

10. रेस्पोडेंट पैरोकार राज ने दौरांने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 जिसकी रूह से रोही करवा सूरतगढ के ख.न. 444/4 की 6.325 है0 बारानी भूमि खारिज के विरूद्ध पेश की है जो कि मियाद बाहर है व मातहत न्यायालय की पत्रावली से यह साबित है कि अपीलांट और पूर्व अपीलांट को सुना गया था तत्पश्चात आदेश हुआ था व अपीलांट ने अपनील अपील में यह कतई दर्ज नहीं किया कि उसे जैर अपील आदेश की जानकारी नही हो इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश को पूर्णतया जानकारी थी। इसलिए अपील पेश करने में जानवूझकर देर की गई है। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत-RRD 1992 Page No- 431 अनुसार-A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत-RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No-431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 31.08.2006के विरूद्ध 16 वर्ष बाद श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आंवटी को कभी भी रकबा पुख्ता आंवटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार नहीं ... नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपील... प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज ... ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश ... चाहा है ... अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त क... ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं ... योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो मे शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नही किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 444/4 की 6.325 है0 को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं कि है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात से आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त होना सिद्ध नही हो रहा है। अपीलांट को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(सूरतगढ़ श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner